SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी.बी.नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

Dated: 18th March 2026

CIRCULAR No.09/2025-26

Sub : Submission of pending Quarterly Export Returns (QER) for 2023-24, 2024-25 & 2025-26 – reg.

- - - - - - -

This has reference to the subject cited above.

As per Sub Regulation 5(9) of the Spices Board (Registration of Exporters) Regulation, 1989, the certificate holder shall submit quarterly returns regarding export and import of spices in the prescribed form specified by the Board from time to time and non-submission of Quarterly Export Returns shall be treated as a violation of the said regulation.

In this regard it has been observed that Quarterly Export Returns (QERs) have not been filed by many of the registered exporters of Spices & Spice products during the period 2023-24, 2024-25 and 2025-26 (upto 3rd quarter). The matter has already been brought to the notice of all the exporters through various modes including notifications in the Export Support System (ESS), email communications and WhatsApp messages.

In view of the above, all the registered exporters of spices/spice products are hereby requested to ensure that the pending export returns for the period 2023-24,2024-25 2025-26 are filed online without fail.

In this regard, it is reiterated that the Board has already implemented an online system for submission of QER during 2021 vide Circular No.4/2021-22 dated 17.06.2021, wherein exporters can upload their Excel file in the Export Support System (ESS) of the Board under the tab "Quarterly Returns." The prescribed template for submission is available in the portal. The link for submission of QERs is given below.

https://indianspices.org.in/ESS/

It is also mandated that in case there is no export/purchase/import during a quarter, the exporter shall submit a **NIL** return to that effect to be filed in the portal.

Since the QER module forms part of the Export Support System (ESS) of the Board, non-submission of Quarterly Returns will restrict access to the ESS portal. In order to avoid such restriction, exporters who have pending submissions are requested to file the QERs **on or before 15th April 2026**.

This circular is issued to bring to the notice of exporters whose **Quarterly Export Returns are pending for submission**, in accordance with the above regulation and to ensure compliance.

Effect: Exporters are hereby informed that non-submission of Quarterly Export Returns within the stipulated time will be treated as violation of the Spices Board (Registration of Exporters) Regulation, 1989 and may invite regulatory action including restriction of ESS services. The access of ESS will be restricted with effect from 16th April 2026.

Director (Mktg)

1. All Registered Exporters of Spices & Spice Products

2. All Exporters Association

3. All Regional offices / SRDs of Spices Board - with a request to bring to the notice of all exporters under their jurisdiction.

4. EDP - With a request to Upload in Board's website / ESS & send as Email to all exporters.

(Issued from MKTG/STS/GEN/CIRCULAR/04/2021; Computer No 16541)

//HINDI VERSION FOLLOWS//

SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

दिनांक : 18 मार्च 2026

परिपत्र सं.09/2025-26

विषय : वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए लंबित त्रैमासिक निर्यात विवरणी(क्युईआर) का प्रस्तुतीकरण – बाबत

\- - - - - - -

यह उपरोक्त विषय के संबंध में है।

स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियमन, **1989** के उप विनियमन **5(9)** के अनुसार, प्रमाण पत्र धारक को बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट निर्धारित प्रपत्र में मसालों के निर्यात और आयात संबंधित त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करना होगा और त्रैमासिक निर्यात विवरणी प्रस्तुत न करना उक्त विनियमन का उल्लंघन माना जाएगा।

इस संबंध में यह देखा गया है कि वर्ष **2023-24, 2024-25** और **2025-26** की अवधि (तीसरी तिमाही तक) के दौरान मसालों और मसाला उत्पादों के कई पंजीकृत निर्यातकों द्वारा त्रैमासिक निर्यात विवरणी (क्यूईआर) दाखिल नहीं किए गए हैं। निर्यात समर्थन प्रणाली (ईएसएस) में अधिसूचनाओं, ईमेल संचार और वॉट्सएप संदेशों सहित विभिन्न माध्यमों से सभी निर्यातकों को इस मामले की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मसालों/मसाला उत्पादों के सभी पंजीकृत निर्यातकों से अनुरोध है कि वे वर्ष **2023-24, 2024-25** और **2025-26** की अवधि के लिए लंबित निर्यात विवरणी को बिना किसी चूक के ऑनलाइन में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में, यह दोहराया जाता है कि बोर्ड ने परिपत्र सं.**04/2021-22** दिनांक **17.06.2021** के अनुसार, वर्ष **2021** के दौरान तिमाही विवरणी (क्युईआर) प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली पहले ही लागू कर दी है, जिसके तहत निर्यातक बोर्ड के निर्यात सहायता प्रणाली (ईएसएस) में "तिमाही रिटर्न" टैब के अंतर्गत अपनी एक्सेल फाइल अपलोड कर सकते हैं। प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित टेम्पलेट पोर्टल पर उपलब्ध है। क्युईआर प्रस्तुत करने का लिंक नीचे दिया गया है।
https://indianspices.org.in/ESS/
यह भी अनिवार्य है कि यदि किसी तिमाही के दौरान कोई निर्यात/खरीद/आयात नहीं होता है, तो निर्यातक को पोर्टल में इस भाग का शून्य **(NIL)** विवरण प्रस्तुत करना होगा।

क्योंकि त्रैमासिक विवरणी (क्युईआर) मॉड्यूल बोर्ड के निर्यात सहायता प्रणाली (ईएसएस) का हिस्सा है, इसलिए त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर ईएसएस पोर्टल तक पहुंच प्रतिबंधित हो जाएगी। इस प्रतिबंध से बचने के लिए, जिन निर्यातकों के क्युईआर प्रस्तुत करने बाकी हैं, उनसे अनुरोध है कि वे **15** अप्रैल **2026** या उससे पहले क्युईआर प्रस्तुत कर दें।

यह परिपत्र उन निर्यातकों को सूचित करने के लिए जारी किया गया है जिनकी त्रैमासिक निर्यात विवरण उपरोक्त विनियमन के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए लंबित हैं, और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी जारी किया गया है।

प्रभाव: निर्यातकों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित समय के भीतर त्रैमासिक निर्यात विवरण प्रस्तुत न करना, स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, **1989** का उल्लंघन माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप ईएसएस सेवाओं पर प्रतिबंध सहित विनियामक कार्रवाई की जा सकती है। ईएसएस की सुविधा **16** अप्रैल **2026** से प्रतिबंधित रहेगी।

निदेशक(प्रशासन)

1. मसालों और मसाला उत्पादों के सभी पंजीकृत निर्यातक
2. सभी निर्यातकों का संघ
3. स्पाइसेस बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/एसआरडी से अनुरोध है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी निर्यातकों को इसकी सूचना दें।
4. ईडीपी को बोर्ड की वेबसाइट/ईएसएस पर अपलोड करने और सभी निर्यातकों को ईमेल के रूप में भेजने का अनुरोध करें।

(विपणन/एसटीएस/जीईएन/परिपत्र/04/2021; कंप्यूटर सं.16541 से जारी)